सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 27/2016 अपील
पंजीयन दिनांक – 08.03.2016
निर्णय दिनांक – 21.03.2018

1. श्री दीपलाल पिता श्री घीसाराम जी जाट, निवासी पावली, तहसील राशमी, जिला चितौड़गढ़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गोगादवी पुत्री स्व. गुलाब जी जाति जाट बेवा हिरा जी जाट, निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)
2. ग्रम पंचायत पावली, तहसील राशमी, जिला चितौड़गढ (राज.)
3. श्रीमान भूमिधारी, तहसीलदार एवं उप पंजीयक महोदय, राशमी, जिला चितौड़गढ़ (राज.)

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, राशमी प्रकरण संख्या 03/2013, निर्णय दिनांक 28.01.2016

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा –– वकील अपीलान्ट
2. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा – वकील ररेस्पोंडेन्ट संख्या–1

निर्णय

दिनांक 21–03–2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, राशमी के प्रकरण संख्या 03/2013, निर्णय दिनांक 28.01.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पावली, पटवार हल्का पावली, तहसील राश्मी जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजीयात जमाबन्दी खाता संख्या 96

आराजी संख्या 111, खाता संख्या 97 आराजी संख्या 399, खाता संख्या 98 आराजी संख्या 119 से 121, खाता संख्या 99 आराजी संख्या 106 से 109, 396, 397, 398, खाता संख्या 100 आराजी न. 1040/227, खाता संख्या 277 आराजी संख्या 110 उक्त विवादित इन्तकाल संख्या 406 फैसल दिनांक 28.02.1996 से पूर्व गुलाब पिता चमना के नाम हिस्से अनुसार दर्ज थी। मृतक गुलाब ने अंतिम वसीयत दिनांक 17.07.1995 को अपने भाई का लड़का श्री दीपलाल पिता घासी में पक्ष में की है, इस आधार पर ग्राम पंचायत पावली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 28.02.1996 को दीपलाल पिता घासी के नाम स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण की प्रथम अपील श्रीमती गोगा देवी ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी के कार्यालय में पेश की। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी ने अपने निर्णय दिनांक 28.1.2016 से नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 28.02.1996 को निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार गुलाब पिता चमना की राजस्व ग्राम पावली स्थित वादग्रस्त आराजीयत में मृतक गुलाब के स्थान पर अपीलान्ट गोगा देवी का नाम रद्दोबदल किये जाने का आदेश दिया है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित, वकील रेस्पोंडेंट उपस्थित नहीं होने से वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस दिनांक 12.03.2018 को सुनी गई तथा वकील रेस्पोंडेंट को लिखित बहस पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। वकील रेस्पोंडेंट ने दिनांक 14.03.2018 को लिखित बहस प्रस्तुत की।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि रेस्पोंडेन्ट गोगा देवी द्वारा नामान्तकरण तस्दीक में अपनी सहमति दी हुई तो वह उससे बाधित थी, उससे वह विमुख नहीं हो सकती है सहमति से नामान्तरकरण खुला है, और सहमति के नामान्तरकरण की अपील नहीं हो सकती है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट दीपलाल काबिज हो काश्त कर रहा है और 18 वर्ष बाद नामान्तरकरण की अपील की आड में खातेदारी अधिकार निरस्त कर दिये। जबकि अपीलान्ट दीपलाल विधिक रूप से स्व. गुलाब जी का वसीयती उत्तराधिकारी था और विधिक रूप से काबिज था और अवैध अतिक्रमी को भी 12 वर्ष बाद की विधि की पालना में व खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट दीपलाल 18 वर्ष से रेकार्डेड विधि अनुसार खातेदार काश्तकार है। बावजुद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रश्नों का निर्णय करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलान्ट दीपलाल के खातेदारी अधिकार निरस्त कर दिये जबकि रेस्पोडेंट गोगादेवी अगर अपीलान्ट दीपलाल के विरूद्ध उक्त भूमि में कोई उजर एतराज अपना हक हित, स्वामित्व रखती तो उसे सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारों के लिये चाराजोही करनी थी। न कि संक्षिप्त प्रोसेडिंग में और

संक्षेप प्रोसेडिंग में अपीलान्ट दीपलाल के खातेदारी अधिकार निरस्त नहीं किये जा सकते है। बावजुद इसके अधिनस्थ न्यायालय में विधि विपरित जाते हुए गलत विवेचन करते हुए अपील स्वीकार करने में भारी कानुनी एवं वाकियाती भूल की है और भूल कर जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में यह भी बताया कि मृतक गुलाब जी की मृत्यु 1996 में हुई थी और 1996 में विवाहित पुत्रियों पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार हक, हित, स्वामित्व नहीं था और न ही विवाहित पुत्री अपने पिता की पैतृक सम्पति में अपने अधिकारों की मांग ही कर सकती थी इसलिए स्व. गुलाब जी की एक मात्र तन्हा स्वामी काश्तकार करते थे और इसी अधिकार से उन्होनें उक्त भूमि की वसीयत पहले तो रेस्पोडेंट गोगादेवी के पुत्र रतनालाल के नाम निष्पादित की थी, परन्तु उसके द्वारा कोई सेवा चाकरी नहीं करने से उसकी वसीयत गुलाब जी द्वारा निरस्त की गई और पुनः अपने भतीजे अपीलान्ट दीपलाल के पक्ष में नई वसीयत निष्पादित की जिसमें पूर्व वसीयत के निरस्ती का भी हवाला दिया हुआ है और नामान्तरकरण तस्दीक में भी रेस्पोडेंट गोगादेवी व उसके पुत्र रतनलाल का इकरार नामा लगा हुआ है और सहमति दी तभी पंचायत द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया बावजुद इसके महज कयासी आधारों व कल्पनाओं पर जाकर मौरूसी सम्पति की वसीयत नहीं हो सकती यह कहकर नामान्तरकरण निरस्त करने में भारी कानुनी एवं वाकियाती भूल की है और भूल कर जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलान्ट ने श्री जीतमल पिता नगजीराम जाट एवं श्री बद्रीलाल पिता प्रतापजी गर्ग के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पेश किये जिनमें उनके द्वारा शपथपूर्वक निवेदन किया है कि गोगा देवी नामान्तरण तस्दीक करते वक्त वह तथा उसका पुत्र रतनलाल दोनों पंचायत में उपस्थित थे तथा उन्होनें अपने पुत्र रतनलाल के नाम निष्पादित वसीयत भी पंचायत को बताई थी परन्तु उन्होनें अपीलान्ट दीपलाल के पक्ष में अपने पिताजी द्वारा की गयी दुसरी वसीयत को सही माना है और उसमें अपनी सहमति व्यक्त की, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण अपीलान्ट दीपलाल के नाम तस्दीक किया गया।

अन्त में वकील अपीलान्ट ने न्यायिक दृष्टान्त, आर.आर.डी. 2012 पेज 721, आर. आर.डी. 2016 पेज 14, आर.आर.टी. 2012(1) पेज 350(एस.सी.), आर.आर.टी. 2017(1) पेज 117 पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के मुख्य तर्क यह है कि ग्राम पंचायत पावली द्वारा अंपजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तकरण अपीलार्थी के नाम रेस्पोंडेंड संख्या 1 की मौरुसी जायदाद का खोल दिया गया व रेस्पोंडेंट को इस सम्बन्ध में सूचना पत्र भी जारी नहीं किया। रेस्पोडेंट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उक्त अवैध आदेश

के विरूद्ध अपील पेश की जो दिनांक 28.01.2016 को स्वीकार हुई व पंचायत के गैरवैधानिक आदेश को निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या 1 गोगादेवी के नाम गुलाब जी के निहित हित को रद्दोबदल किये जाने का आदेश प्रदान किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त ईकरार की छाया प्रतियां पेश की किन्तु न तो उक्त ईकरार की मूल प्रति पेश की है न ही प्रमाणित प्रति पेश की है यदि उक्त आशय का कोई ईकरार निष्पादित किया जाता व रेस्पोडेंट संख्या 2 के कार्यालय में दिया जाता तो रेस्पोडेंट संख्या 2 व राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट में उसका उल्लेख होता व न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा मूल या प्रमाणित प्रति पेश की जाती। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 द्वारा उक्त आशय का कोई दस्तावेज या स्वीकृति का कथन अधिनस्थ न्यायालय या श्रीमान न्यायालय में नहीं किया गया है जो उक्त ईकरार दस्तावेज का मिथ्या होना प्रमाणित करता है। वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित बहस में यह भी बताया कि जहा तक अपील प्रस्तुत करने की मयाद का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा धारा 5 स्वीकार की गई है व विलम्ब का यथोचित कारण मानते हुए सही–सही निर्णय पारीत किया गया है। नामान्तरकरण सरसरी कार्यवाही है व वसीयत की वैधता निधारिंत करने का हक पंचायत को नहीं होने से व नियम 133 व 135 के विरूद्व इन्तकाल होने से अधिनस्थ न्यायालय ने सही सही खारीज किया है व किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं की है। आगे यह भी कथन किया की सम्पत्ति मौरूसी होने व रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती गोगा देवी एक मात्र प्राकृतिक उत्तराधिकारी होने से मृतक गुलाब पिता चमना की राजस्व ग्राम पावली की कथित वादग्रस्त भूमि मृतक गुलाब के निहित हित के स्थान पर गोगा देवी का नाम रदोबदल किये जाने का आदेश फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखाये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपने कथन के समर्थन में वकील रेस्पोडेंट ने न्यायिक दृष्टान्त, आर.आर.टी. 2017(2) पेज 986, आर.आर.टी. 2008(1) पेज 1406, आर. आर.टी. 2005(2) पेज 1366, आर.आर.टी. 2009(2) पेज 1280 पेश किये है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मौरुसी जायदाद है। गुलाब के फौत होने पर पारित नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 28.021996 पर भू.अ.निरीक्षक ने अपनी टिप्पणी कर दर्शाया है कि स्व. श्री गुलाब के द्वारा जीते जी गोगादेवी के पुत्र रतनलाल एवं खुद की पत्नि के नाम रजिस्टर्ड वसीयत दिनंक 19.09.1988 एवं बाद में अपीलान्ट के पक्ष में अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 17.07.1995 निष्पादित की गई है। श्री गुलाब के पत्नि का देहान्त हो चुका है। कथित भूमि मौरुसी होने से मृतक गुलाब की जायन्दा पुत्री गोगादेवी के नाम रद्दोबदल किया जाना उचित होगा। तत्पश्चात् भी ग्रम पंचायत द्वारा उपरोक्त नामान्तरकरण विधि विरुद्व स्वीकृत किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। जबकि अपीलान्ट जो एक मात्र प्राकृतिक उत्तराधिकारी

है। नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही है व वसीयत की वैधता निधार्रित करने का हक पंचायत को नहीं होने से व नियम 133 व 135 के विरूद्व इन्तकाल होने से अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण को खारिज कर रेस्पों.संख्या 1 मृतक गुलाब पिता चमना जाट की राजस्व ग्रम पावली स्थित वादग्रस्त आराजीयाात मृतक गुलाब के निहित हित के स्थान पर अपीलान्ट गोगादवी का नाम रद्दोबदल किया जाने का पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम उपखण्ड़ अधिकरी राशमी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2016 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड़ अधिकारी राशमी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर